

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या : 281/2021

तारीख दायर : 3/12/2021

अनवान

मोहन पुत्र छोगा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पिता देवा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
02. गजरी पिता कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
03. भूरी पत्नि कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
04. बरदा पिता उदा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.


विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 9/12/2021

प्रार्थना पत्र मोहन पुत्र छोगा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रह्म प्रकाश तिवाडी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्दी भू-अभिलेख नि. क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 143 आरजी सं 423 रकबा 0.9793 है0, आराजी सं. 429 रकबा 0.0081 है0, आराजी सं. 430 रकबा 0.0081 है0, आराजी सं. 432 रकबा 0.8498 है0 कुल किता 4 रकबा 1.8453 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगडी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ड में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।


अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान  में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगडी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्दी भू-अभिलेख नि. क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज. में खाता सं. 143 आरजी सं 423 रकबा 0.9793 है0, आराजी सं. 429 रकबा 0.0081 है0, आराजी सं. 430 रकबा 0.0081 है0, आराजी सं. 432 रकबा 0.8498 है0 कुल किता 4 रकबा 1.8453 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगडी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगडी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गडी प्रार्थी मोके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।




(सीमा तिवाडी)
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियां (भीलवाडा)